

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक / बे०शि० / 11046-47 / 2020-21

दिनांक: 07 दिसम्बर 2020

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्धक, वनस्थली पब्लिक स्कूल, एच०एस०-32, सेक्टर-जीटा, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2020 द्वारा शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण/स्थायी करने का अनुरोध किया है। अभिलेखानुसार इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/12800-802/2018-19 दिनांक 24.01.2019 द्वारा प्राइमरी/जूनियर स्तर कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक की मान्यता तीन वर्ष की अवधि हेतु अनंतिम रूप से प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 15 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्या संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी हैं।

उक्त शासनादेश एवं प्रबन्धक, वनस्थली पब्लिक स्कूल, एच०एस०-32, सेक्टर-जीटा, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा पत्रावली में उपलब्ध कराये अपने विद्यालय सम्बन्धी अद्यतन प्रपत्रों के आधार पर उक्त विद्यालय का **GJHS - 508** हैं, की मान्यता को स्थायी माना जायेगा एवं भविष्य में मान्यता पत्रांक/मान्यता/12800-802/2018-19 दिनांक 24.01.2019 में उल्लिखित समस्त शर्तों/मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं शासन द्वारा जारी किये गये नवीन शासनादेश भी प्रभावी होंगे।

(धीरेन्द्र कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पृष्ठांकन एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड दनकौर।
2. प्रबन्धक, वनस्थली पब्लिक स्कूल, एच०एस०-32, सेक्टर-जीटा, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।